निर्धारित समय में सेवाएं देने के साथ-साथ व्यवहार भी सही होना जरूरी: टीसी गुप्ता

हरियाणा राईट टू सर्विस कमीशन के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

भिवानी(मधु)। हरियाणा राईट टू सर्विस कमीशन के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता(सेवानिवृत आईएएस) ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे एक नवंबर 2021 तक सरल पोर्टल पर वर्ष 2020 के लंबित आवेदनों का हर हाल में निपटारा करें। ऐसा नहीं करने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को आरटीएस के तहत निर्धारित समयावधि में लोगों के कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय में कार्य नही करने पर आयोग द्वारा पैनल्टी लगाई जाती है और तीन बार पैनल्टी लगाए जाने पर संबंधित अधिकारी को बर्खास्त करने के लिए सरकार के पास सिफारिश भेजी जाएगी। गुप्ता मंगलवार को स्थानीय पंचायत भवन में हरियाणा राईट टू सर्विस कमीशन के तहत सरल पोर्टल पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा पारदर्शी व तत्परता से सेवाएं प्रदान के लिए ऑन सिस्टम बनाया गया है। इसी को लेकर हरियाणा राईट टू सर्विस कमीशन का गठन किया गया है, जिसमें सेवाएं प्रदान करने के लिए अलग-अलग सेवाओं के लिए अलग-अलग समय निर्धारित किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे उनके विभाग की सरल पोर्टल पर पंजीकरण सेवाओं के बारे में लोगों को जागरूक करें। उन्होंने कहा कि सरकार की अनेक योजनाएं सरल पोर्टल के साथ जुड़ी हैं, लेकिन लोगों को उनके बारे में जानकारी नहीं है, जिससे लोग उनका लाभ लेने से वंचित रह जाते है। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपने-अपने कार्यालय परिसर में आरटीएस के तहत आने वाली सेवाओं व समयबद्धता का बोर्ड लगाएं।

हरियाणा राईट टू सर्विस कमीशन के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में उनके पास किसी कार्य के लिए आने वाले लोगों के साथ अधिकारी का व्यवहार भी सही होना चाहिए, जिसके माध्यम से सरकार व प्रशासन की छवि बनती है। उन्होंने कहा कि कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, मार्केट कमेटी, वन विभाग मच्छली पालन विभाग, श्रम विभाग, कृषि विभाग आदि प्रमुख ऐसे विभाग हैं, जिनकी अनेक कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिनके बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विभागों का स्कोर 9.9 होना चाहिए।

गुप्ता ने जनता से सीधेतौर पर जुड़े कल्याण विभाग, श्रम विभाग, वन विभाग, पुलिस, महिला एवं बाल विकास विभाग, मछली पालन विभाग, हरियाणा वूमन डेवलेपमेंट निगम, टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग, खाद्य एवं पूर्ति विभाग, राजस्व विभाग, समाज कल्याण विभाग, बिजली निगम, नगर परिषद, हाऊसिंग बोर्ड आदि विभागों की सरल पोर्टल पर कार्यप्रणाली की समीक्षा की। उन्होंने नगर परिषद को निर्देश दिए कि वे स्वच्छ हरियाणा एप के बारे में लोगों में जागरूकता लाएं ताकि लोग गंदगी के बारे में समस्याएं बता सकें और उनका समय पर समाधान हो सके। गुप्ता ने जिला में संचालित सीएससी सेंटर की भी समीक्षा की और जिला प्रबंधक को निर्देश दिए कि सभी सीएससी सेंटर पर सेवाओं की फीस लगी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों से निर्धारित फीस से अधिक पैसे न वसूले जाएं, यदि ऐसा होता मिलता है तो मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा।

प्रबुद्ध नागरिकों से किया सीधा संवाद

समीक्षा बैठक के दौरान हरियाणा राईट टू सर्विस कमीशन के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने यहां पर एमीनेंट पर्सन और प्रबुद्ध लोगों से सीधा संवाद किया और हरियाणा राईट टू सर्विस कमीशन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुझाव भी लिए। इस दौरान सिवानी से एमीनेंट पर्सन बलदेव सिंह ने मकान मरम्मत के लिए दी जाने वाली सहायता राशि में देरी किए जाने व राशि का सही प्रयोग न होने, कमल सिंह परमार ने सीएससी सेंटरों पर रेट लिस्ट न चस्पा किए जाने तथा निर्धारित फीस से अधिक रुपए वसूल किए जाने, सेक्टर 13 से सतबीर कौशिक ने महिला एवं बाल विकास विभाग व स्वास्थ्य विभाग से संबंधित व बिजली के छह से आठ घंटे तक के कट लगाए जाने, सेक्टर 13 से वेलफेयर एसोसिएशन प्रतिनिधि चिरंजलाल सांवरिया ने सेक्टर 13 व 23 में सीवरेज व बरसाती पानी की निकासी नहीं होने, रामकिशन हलवासिया ने दादरी रोड़ से कचरा डंपिंग की जगह पर मृत पशु डाले जाने, नरेश रापड़िया ने लंबे समय तक मीटर रीडिंग नहीं लिए जाने, एडवोकेट सज्जन खनगवाल ने न्यू हाऊसिंग बोर्ड में बिजली केबल से संबंधित, जितेंद्र शर्मा ने गांव उमरावत में लंबे समय से बिजली ट्रांसफार्मर नहीं रखने, दिनेश कुमार ने कंप्यूटर ऑप्रेटरों के समक्ष आने वाली शिकायतों का समाधान किए जाने, उद्योग एसोसिएशन से शैलेंद्र जैन ने लोड बढ़वाने आदि समस्याएं रखी।

समीक्षा बैठक को आयोग की सचिव मीनाक्षी राज ने भी संबोधित किया। नगराधीश हरबीर सिंह ने जिला में सरल पोर्टल की रिपोर्ट प्रस्तुत की। अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल ने गुप्ता व कार्यक्रम में मौजूद सभी का आभार प्रकट किया। इस दौरान उपायुक्त आरएस ढिल्लो, पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत, एसडीएम भिवानी संदीप अग्रवाल, एसडीएम सिवानी ब्रह्मदत्त, एसडीएम तोशाम मनीष फौगाट, एसडीएम सिवानी जगदीश चंद्र, सीईओ जिला परिषद कुशल कटारिया, उप पुलिस अधीक्षक विरेंद्र सिंह, सीएमजीजीए गौरव सिरोही, डीआईओ पंकज बजाज, अधीक्षक अभियंता बिजली निगम राजकुमार, कृषि विभाग के उप निदेशक डॉ. आत्माराम गोदारा, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी आशीष मान सहित विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि व अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।

समीक्षा बैठक के दौरान हरियाणा राईट टू सर्विस कमीशन के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने बताया कि सरकार की योजना के अनुसार सामान्य तौर पर शादी का पंजीकरण करवाने को कल्याण विभाग द्वारा 1100 रुपए और एक मिठाई का डिब्बा दिया जाता है, जो कि दिया जाना चाहिए। इस योजना में वे लोग शामिल हैं, जो विवाह की किसी भी लाभकारी योजना में शामिल नहीं जुड़े होते है। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि विवाह के पंजीकरण में माता-पिता का बुलाना अनिवार्य नहीं है। सिर्फ दो गवाहों का बुलाना जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वन विभाग की ऐसी जमीन के बारे में बोर्ड लगवाएं जाएं, जहां पर पेड़ काटने के लिए वन विभाग से एनओसी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन वहां पर यह भी जरूर लिखा हो कि कोई व्यक्ति यदि एक पेड़ काटता है तो उसकी ऐवज में कम से कम दस पेड़ जरूर लगाएगा। उन्होंने श्रम विभाग की समीक्षा करते हुए बताया कि पंजीकृत वर्करों को भी नियमित कर्मचारियों की तरह एलटीसी दी जाती है, जिसके बारे में श्रमिकों को जानकारी ही नहीं होती।